

09/07/24

पत्रावली पर वकील वादी द्वारा छांपत्र आदेश
23 नियम। CPC पैरा क्रिपे जाने पर पत्रावली
वापसिय से तब ही जाकर पैरा क्रिपे छांपत्र में
वादी द्वारा उतिवादीगण से वर्तमान में राजीनामा
ही जाने के कारण अपना वाद वापस लेने हुए
कारवाही दूाप करने हेतु निर्वेदन किया गया है।
उर्चना पत्र पर वकील वादी को सुना गया।
छांपत्र का आवलोकन किया जाकर छांपत्र
वादी स्वीकार किया जाता है। दावा वादी
विद्वां क्रिपे जाने के कारण दावा को इसी
स्तर पर रखागिा किया जाता है पत्रावली
संखल सुमार हीकरखनम्बर से कम ही। बाद
तकमील कारिबिल दस्तर ही।
निर्जय आज खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

जे
उपखण्डाधिकारी
जयपुर (धोलपुर) पत्र.